"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



प्रंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 107] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 मार्च 2013—फाल्गुन 28, शक 1934

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 मार्च, 2013 (फाल्गुन 28, 1934)

क्रमांक-4509/वि.स./विधान/2013.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 (क्रमांक 10 सन् 2013) जो दिनांक 19 मार्च, 2013 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 10 सन् 2013)

अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय विधेयक, 2013

विषय सूची

खण्ड

अध्याय-एक
प्रारंभिक

अध्याय-दो
विश्वविद्यालय

32. अध्यादेश.
33. अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे.
34. विनियमन बनाने की शक्ति.

अध्याय-तीन
विविध

35. संस्थान के प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाहियां रिक्तियों आदि के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी.
36. संस्थान के निदेशक, बोर्ड, सीनेट या वित्त समिति के सदस्य का हटाया जाना.
37. कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति.
38. नियम बनाने की शक्ति.
39. परिनियमों और अध्यादेशों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना एवं विधान मण्डल के समक्ष रखा जाना.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 10 सन् 2013)

अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय विधेयक, 2013

सूचना प्रौद्योगिकी तथा उसके उपयोग क्षेत्र एवं ज्ञान के संबंधित क्षेत्रों में अध्ययन, शोध, चिंतन एवं कार्य विस्तारण को प्रोत्साहित करने एवं सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एवं इन क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु तथा उनसे संबंधित और उनके आनुषंगिक विषयों के लिए नया रायपुर में एक-अ-सम्बद्ध, शिक्षण एवं शोध विश्वविद्यालय स्थापित एवं निगमित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय-एक
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे.

परिभाषाएं. 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या" से अभिप्रेत है, अध्ययन की प्रत्येक शाखा में सीटों की संख्या जो शैक्षणिक मानकों की स्थापना के लिये उत्तरदायी समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है तथा जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है;

(ख) "समुचित प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, शैक्षणिक मानकों की स्थापना के लिये उत्तरदायी कोई वैधानिक निकाय या विश्वविद्यालय का सीनेट, जैसा कि अपेक्षित हो;

(ग) "बोर्ड" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का बोर्ड;

(घ) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के बोर्ड का अध्यक्ष;

(ङ) "कुलाधिपति" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(च) "डीन" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, डीन अकादमिक या अनुसंधान एवं [illegible]ास;

(छ) "निदेशक" से अभिप्रेत है, नया रायपुर में संस्था का निदेशक जो विश्व[illegible]द्यालय का, पदेन, कुलपति होगा;

(ज) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्[illegible]िया गया हो तथा विश्वविद्यालय की निधि से वेतन एवं अन्य पारिश्रमिक आहरित कर रह[illegible]ो;

(झ) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

(ञ) "संस्थान" से अभिप्रेत है, नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) के साथ भागीदारी में इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में निगमि[illegible] अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान-नया रायपुर (आईआईआईटी-नया रायपुर);

(ट) "एनटीपीसी" से अभिप्रेत है, नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, जो दिल्ली में निगमित एक केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम है, तथा छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत (पॉवर) उत्पादन एवं संबंधित गतिविधियों में संलग्न है जिसमें इसके उत्तराधिकारी, प्राधिकृत प्रतिनिधि एवं अनुज्ञप्त समनुदेशिति सम्मिलित हैं;

(ठ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(5) के प्रयोजन के लिये एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ-85-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा निर्दिष्ट नागरिकों के अन्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग;

(ड) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार;

(ढ) "आरक्षित सीटों" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्रवेश के संबंध में व्यक्तियों के विशेष संवर्गों के लिये आरक्षित सीटें;

(ण) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अधिसूचित कोई जाति;

(त) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अधिसूचित कोई जनजाति;

(थ) "सीनेट" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का सीनेट;

(द) "प्रायोजक" से अभिप्रेत है, उपरोक्त खण्ड (ट) में यथा परिभाषित एनटीपीसी;

(ध) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य;

(न) "परिनियम" "अध्यादेश" और "विनियम" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम;

(प) "वर्ष" से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.

अध्याय-दो
विश्वविद्यालय

3. (1) अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान-नया रायपुर, संक्षिप्त नाम "आईआईआईटी-नया रायपुर" जो इसमें इसके पश्चात् संस्थान के रूप में निर्दिष्ट है, के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी, जो कि ऐसी तारीख से प्रभावी होगा, जैसा कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे. **संस्थान का निगमन.**

स्पष्टीकरण.— इस अधिनियम में शब्द "संस्थान" तथा "विश्वविद्यालय" का अन्तर-परिवर्तनीय उपयोग किया गया है.

(2) **संस्थान एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वाद लाया या उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा.**

(3) **संस्थान, वित्तीय एवं प्रशासनिक रूप से स्वायत्त रहेगा जिसकी स्वयं की प्रशासनिक नीतियां एवं पद्धतियां उसके परिनियम, अध्यादेश तथा विनियमन में उपबंधित होंगी.**

संस्थान की शक्तियां. 4. (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, संस्थान निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :—

(क) विद्यार्थियों जिनके पास परिनियम में यथा उपबंधित पात्रता है उनका प्रवेश लेना एवं वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या का अनुमोदन करना;

(ख) संस्थान द्वारा उचित समझे गए अनुसार अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, शिक्षा, विज्ञान और कला या ज्ञान के अन्य क्षेत्र जो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं, में शिक्षण और शोध के लिए तथा इन क्षेत्रों में विद्या के अभिवर्धन और ज्ञान के प्रसार और सृजन के लिए प्रावधान करना;

(ग) परीक्षाओं का आयोजन करना और डिग्री, डिप्लोमा तथा अन्य अकादमिक प्रशस्तियां अथवा अवार्ड प्रदान करना;

(घ) मानद डिग्रियां अथवा अन्य शैक्षणिक प्रशस्तियां प्रदान करना;

(ङ) शुल्क और अन्य प्रभारों का निर्धारण, मांग और प्राप्त करना;

(च) विद्यार्थियों के आवास हेतु हॉल और छात्रावासों की स्थापना, अनुरक्षण और प्रबंधन करना;

(छ) आवास का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना, संस्थान के विद्यार्थियों के अनुशासन को विनियमित करना और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण और सांस्कृतिक एवं निगमित जीवन को प्रोन्नत करने हेतु व्यवस्थाएं करना;

(ज) अकादमिक और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर, निदेशक के पद को छोड़कर, नियुक्तियां करना;

(झ) प्रथम परिनियम को छोड़कर परिनियमों, अध्यादेशों और विनियम की विरचना करना और उनमें परिवर्तन, उपान्तरण अथवा रद्द करना;

(ञ) संस्थान के उद्देश्यों के अभिवर्धन के लिए, संस्थान में निहित अथवा उससे संबंधित किसी भी चल सम्पत्ति का ऐसी रीति से व्ययन करना, जैसा वह ठीक समझे;

(ट) शासन से उपहार, अनुदान, दान या उपकृति प्राप्त करना और वसीयतकर्ताओं, दानदाताओं अथवा अन्तरणकर्ताओं से, जैसी भी स्थिति हो, चल या अचल संपत्तियों का वसीयत, अनुदान तथा अन्तरण प्राप्त करना;

(ठ) संस्थान के समान, पूर्णतः या आंशिक रूप से, उद्देश्य रखने वाले विश्व के किसी भी भाग में स्थित शैक्षणिक या अन्य संस्थाओं के साथ, सामान्यतः ऐसी रीति से, जो उनके सामान्य उद्देश्यों के अनुरूप हो, शिक्षकों और स्कॉलरों के आपसी आदान प्रदान द्वारा सहयोग करना;

(ड) फेलोशिप, स्कॉलरशिप, प्रदर्शनियां, पुरस्कार और मैडल संस्थापित करना और प्रदान करना; तथा

(ढ) संस्थान के सभी या किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी ऐसे कार्य करना जो कि आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हैं.

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन के बिना संस्थान किसी भी अचल संपत्ति का किसी भी प्रकार से व्ययन नहीं करेगा.

5. (1) संस्थान किसी भी लिंग, धर्म, पंथ, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा और संस्थान के लिए यह विधिसंगत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को संस्थान के शिक्षक के रूप में नियुक्त करने, या उसमें कोई अन्य पद धारण करने अथवा संस्थान के विद्यार्थी के रूप में प्रवेश देने अथवा उन्हें स्नातक बनाने अथवा उन्हें किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार का लाभ उठाने या प्रयोग करने के लिए धार्मिक आस्था के नाम पर कोई परीक्षा या व्यवसाय या राजनीतिक विचार स्वयं अंगीकृत करे या उस व्यक्ति पर अधिरोपित करे. संस्थान सभी वर्गों, जातियों और सम्प्रदायों के लिए खुला रहेगा.

(2) किसी भी राष्ट्रीयता के विद्यार्थियों के लिए यह संस्थान खुला रहेगा जिन्हें परिनियम में यथाविहित रीति में प्रवेश दिया जा सकेगा.

(3) संस्थान द्वारा ऐसी कोई भी वसीयत, दान या किसी संपत्ति का हस्तांतरण स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसमें बोर्ड की राय में इस धारा के उद्देश्य और भावना के विरुद्ध कोई शर्त या बाध्यता निहित हो.

6. (1) वार्षिक अनुज्ञप्त संस्था में प्रवेश, सामान्य प्रवेश परीक्षा (सी.ई.टी.) के आधार पर, ऐसी रीति में किया जायेगा, जैसी बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाए: संस्थान में प्रवेश.

परंतु वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या का पचास प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित स्कूलों में से माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक (सीनियर सेकण्डरी) अर्हकारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिये आरक्षित होगा:

परंतु यह और कि वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या का पंद्रह प्रतिशत एनटीपीसी में नियोजित व्यक्तियों के लिये अथवा उनके प्रतिपाल्य (बच्चों), जो अन्यथा पात्र हों तथा एनटीपीसी द्वारा प्रायोजित हों, के लिए आरक्षित होगा.

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के प्रवेश के समय सीटों का आरक्षण तथा इसका विस्तार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन शासन द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा.

7. संस्थान में शिक्षण का संचालन, इस निमित्त बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के अनुसार, संस्थान द्वारा या इसके नाम से किया जाएगा. संस्थान में शिक्षण.

8. (1) छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे. कुलाधिपति.

(2) कुलाधिपति एक या अधिक व्यक्तियों को संस्थान के कार्य और प्रगति की समीक्षा करने, उसके कार्यों की जांच करने तथा उस पर ऐसी रीति से रिपोर्ट देने के लिए, जैसा कि वह निदेशित करें, नियुक्त कर सकते हैं.

(3) इस प्रकार की किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर, कुलाधिपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा तथा ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा जैसा कि वह उस मामले के संबंध में आवश्यक समझे और ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए संस्थान बाध्य होगा.

9. संस्थान के प्राधिकारीगण निम्नानुसार होंगे :— संस्थान के प्राधिकारीगण.

(1) अध्यक्ष,
(2) बोर्ड,
(3) सीनेट,
(4) वित्त समिति,
(5) भवन एवं कार्य समिति,
(6) ऐसे अन्य प्राधिकारीगण, जिन्हें परिनियमों द्वारा संस्थान का प्राधिकारी घोषित किया जाए.

बोर्ड का गठन.

10. बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

(1) अध्यक्ष, यथा विहित रीति अनुसार कुलाधिपति द्वारा नामांकित किया जायेगा;

(2) प्रमुख सचिव या सचिव, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, (पदेन);

(3) प्रमुख सचिव या सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, छत्तीसगढ़ शासन, (पदेन);

(4) संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, (पदेन);

(5) सीनेट द्वारा नामांकित एक प्रोफेसर;

(6) सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सहित शिक्षा, अभियांत्रिकी, विज्ञान अथवा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के संबंध में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव रखने वाले चार व्यक्ति, बोर्ड द्वारा नामांकित किये जायेंगे;

(7) डीन (अकादमिक) और डीन (शोध एवं विकास) (पदेन);

(8) प्रायोजक द्वारा नामांकित तीन व्यक्ति;

(9) रजिस्ट्रार;

(10) संस्थान का निदेशक (पदेन सदस्य-सचिव).

बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, रिक्तियां और देय भत्ते.

11. (1) इस धारा में यथा उपबंधित को छोड़कर :—

(क) बोर्ड के अध्यक्ष अथवा सदस्य की पदावधि, उसके नामांकन की तारीख से तीन वर्ष की होगी.

(ख) पदेन सदस्य बोर्ड में तब तक बना रहेगा जब तक वह उस पद को धारित करता है, जिसके आधार पर वह सदस्य है.

(ग) आकस्मिक रिक्तता की पूर्ति हेतु नामित सदस्य की पदावधि उस सदस्य की शेष अवधि तक के लिए निरंतर रहेगी, जिसके स्थान पर उसे नामांकित किया गया है.

(2) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई निवर्तमान सदस्य, तब तक पद में बना रहेगा, जब तक कि उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को सदस्य के रूप में नामांकित नहीं कर दिया जाता.

(3) संस्थान के कर्मचारियों के अलावा, बोर्ड के सदस्य, व्यय की प्रतिपूर्ति, भत्तों के भुगतान तथा बैठक शुल्क (सिटिंग फीस), जैसा कि विनियमों में उपबंधित किया जाए, प्राप्त करने हेतु हकदार होंगे.

बोर्ड की शक्तियां और कार्य.

12. (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, बोर्ड, संस्थान के कार्यों के सामान्य अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा तथा संस्थान की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेशों अथवा विनियमों के द्वारा उपबंधित से अन्यथा न हो और उसके पास वित्त समिति तथा भवन एवं कार्य समिति के कार्यों की समीक्षा करने की शक्ति होगी.

(2) उप-धारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(क) संस्थान के प्रशासन और कार्यप्रणाली से संबंधित नीति विषयक प्रश्नों पर निर्णय लेना;

(ख) सीनेट की अनुशंसा पर अध्ययन के पाठ्यक्रमों का संस्थापन;

(ग) प्रथम परिनियम से भिन्न परिनियमों का निर्माण;

(घ) संस्थान में अकादमिक के साथ-साथ अन्य पदों का सृजन करना और उन पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना और वित्तीय स्रोतों की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए, कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों की वेतन संरचना तथा निबंधनों एवं शर्तों को निर्धारित करना;

(ङ) अध्यादेशों या विनियमों का निर्माण, उपांतरण अथवा निरस्त करना;

(च) सीनेट या भवन एवं कार्य समिति, यथास्थिति, की अनुशंसा पर संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदनों और विकास योजनाओं पर विचार करना एवं अनुमोदित करना;

(छ) वित्त समिति द्वारा यथा अनुशंसित, आगामी वित्त वर्ष के लिए संस्थान के वार्षिक लेखाओं तथा बजट अनुमान पर विचार करना तथा अनुमोदन करना;

(ज) भवन तथा कार्य समिति द्वारा यथा अनुशंसित सभी अधोसंरचना संबंधी कार्य, सभी गौण मूल कार्य तथा सम्पदा के संधारण संबंधी कार्यों का प्रशासनिक अनुमोदन करना;

(झ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना, जैसा कि इस अधिनियम या परिनियम द्वारा उसे प्रदत्त किया जाये या उस पर अधिरोपित किया जाए.

(3) बोर्ड को इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग और उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, ऐसी अन्य समितियों को नियुक्ति करने की शक्तियां होंगी, जैसा कि वह आवश्यक समझे:

परंतु इस उप-धारा के अधीन नियुक्त ऐसी किसी भी समिति को ऐसी शक्तियां एवं कृत्य नहीं सौंपे जाएंगे जो सीनेट, वित्त समिति तथा भवन एवं कार्य समिति के प्रतिकूल हों.

13. सीनेट में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात् :— सीनेट.

(क) निदेशक, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) रजिस्ट्रार;

(ग) डीन (अकादमिक), जो सचिव होगा;

(घ) वरिष्ठतम प्राध्यापक, जिनकी संख्या पांच से अधिक नहीं होगी जो विभिन्न संकायों का प्रतिनिधित्व करते हों, और जिन्हें वरिष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा नामांकित किया जाएगा;

(ङ) तीन व्यक्ति, जो संस्थान के कर्मचारी न हों, जिनमें से प्रत्येक विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रबंधन के क्षेत्र से ख्याति प्राप्त शिक्षाविद् होंगे, बोर्ड द्वारा नामांकित किये जायेंगे; और

(च) दो से अनधिक ऐसे अन्य व्यक्ति जो कि सीनेट द्वारा उसको किन्हीं शैक्षणिक (अकादमिक) मुद्दों पर निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए, मतदान के किसी अधिकार के बिना, उस बैठक में आमंत्रित किये जा सकेंगे.

सीनेट का कार्य. 14. सीनेट, संस्थान का प्रमुख शैक्षणिक (अकादमिक) निकाय होगा और जो इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, संस्थान में शिक्षा, शिक्षण एवं प्रशिक्षण, अन्तर्विभागीय समन्वय, शोध, परीक्षाओं और शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा तथा इन पर नियंत्रण रखेगा तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्तव्य एवं कृत्य करेगा, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाये या उसे प्रदत्त किया जाये.

वित्त समिति. 15. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

(क) निदेशक, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) राज्य शासन का प्रतिनिधित्व करने वाले नामिति, जो क्रमश: —

(एक) तकनीकी शिक्षा विभाग से संबंधित ;

(दो) वित्त विभाग से संबंधित हों;

(ग) बोर्ड द्वारा नामित उसका एक सदस्य;

(घ) वित्त या लेखा में ख्याति प्राप्त एक व्यक्ति जो संस्थान का कर्मचारी न हो, जो बोर्ड द्वारा नामांकित किया जाएगा;

(ङ) संस्थान का मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी, जो सचिव होगा;

(च) रजिस्ट्रार;

(छ) प्रायोजक का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति;

(2) मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी तथा पदेन सदस्यों से भिन्न, वित्त समिति के सदस्य अपने नामांकन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे.

वित्त समिति की शक्तियां और कार्य. 16. वित्त समिति की शक्तियां एवं कार्य निम्नानुसार होंगे :—

(क) लेखाओं की जांच करना और व्यय हेतु प्रस्तावों की संवीक्षा करना;

(ख) संस्थान के वित्तीय अनुमानों के लिये वार्षिक लेखाओं की जांच करना तथा उसे अपनी टिप्पणियों के साथ बोर्ड के अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करना;

(ग) परिनियमों द्वारा यथा उपबंधित सीमाओं तक व्यय की मंजूरी देना.

भवन एवं कार्य समिति. 17. (1) भवन एवं कार्य समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

(क) निदेशक, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) बोर्ड द्वारा नामित उसका एक सदस्य;

(ग) प्रायोजक का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति;

(घ) सिविल इंजीनियरिंग में ख्याति प्राप्त एक व्यक्ति जो संस्थान का कर्मचारी न हो, जो बोर्ड द्वारा नामांकित किया जाएगा;

(ङ) संस्थान द्वारा प्रदत्त अध्ययन के किसी क्षेत्र में शिक्षण या शोध के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त एक व्यक्ति जो संस्थान का कर्मचारी न हो, जो बोर्ड द्वारा नामांकित किया जाएगा;

(च) लोक निर्माण विभाग से संबंधित राज्य शासन का एक नामिति;

(छ) नया रायपुर विकास प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति;

(ज) रजिस्ट्रार;

(झ) संस्थान की सम्पदा के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी वरिष्ठतम अधिकारी, समिति का सचिव होगा.

(2) संस्थान की सम्पदा के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी वरिष्ठतम अधिकारी एवं पदेन सदस्य से भिन्न भवन एवं कार्य समिति के सदस्य अपने नामांकन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे.

भवन एवं कार्य समिति की शक्तियां और कार्य.

18. परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, भवन एवं कार्य समिति की शक्तियां एवं कार्य निम्नानुसार होंगे :—

(क) सभी मुख्य अधोसंरचना संबंधी कार्यों के लिए स्वीकृत बजट के भीतर तकनीकी अनुमोदन;

(ख) सभी गौण मूल कार्यों और संपदा के अनुरक्षण (रखरखाव) से संबंधित कार्य हेतु स्वीकृत बजट के भीतर तकनीकी अनुमोदन एवं समाशोधन;

(ग) निम्नलिखित के संबंध में अनुमोदन प्रदान करना :—
(एक) ठेकेदारों को सूचीबद्ध करना,
(दो) निविदाओं का आमंत्रण और स्वीकृति प्रदान करना,
(तीन) कार्य आदेश जारी करना,
(चार) विभागवार कार्यों को हाथ में लेना और कार्य की प्रगति का पर्यवेक्षण करना;

(घ) दावों और असूचीबद्ध दरों के परिनिर्धारण के संबंध में प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रदान करना;

(ङ) सूचीबद्ध दरों को वित्त समिति द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तावित करना;

(च) भवनों के निर्माण और भूमि के विकास के मामले में ऐसे अन्य कार्य करना जैसा कि बोर्ड, समिति को समनुदेशित करने हेतु उचित समझे;

(छ) समिति का अध्यक्ष परिस्थिति के अनुसार, समिति की सभी या किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा तथा ऐसे प्रत्येक आदेश को समिति एवं बोर्ड को क्रमशः उनकी आगामी बैठक में सूचित किया जाएगा.

बोर्ड के अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य.

19. बोर्ड के अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष, बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा;

(ख) ऐसे मामलों में, जहां परिनियम में यथा उपबंधित बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं हुई है, तो अध्यक्ष को परिनियम के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड की बैठक आहूत करने की शक्ति होगी;

(ग) जहां निदेशक की राय में, संस्थान के हित में तत्काल निर्णय लिए जाने की आवश्यकता प्रतीत होने की स्थिति निर्मित होती है, तब निदेशक की अनुशंसा पर अध्यक्ष ऐसे आदेश जारी कर सकेगा, जैसा आवश्यक समझा जाए:

परन्तु ऐसे आदेशों को बोर्ड की आगामी बैठक में उसके अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा:

परन्तु यह और कि जहां संस्थान पर वित्तीय भार बोर्ड द्वारा अनुमोदित बजट के प्रावधानों से अधिक हो, वहां ऐसा निर्णय बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं लिया जाएगा;

(घ) अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम के अधीन, परिनियमों द्वारा अथवा बोर्ड के संकल्प द्वारा उसे सौंपे जाएं.

निदेशक की नियुक्ति. 20. (1) निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी अथवा कम्प्यूटर साईंस अथवा कम्प्यूटर अभियांत्रिकी के क्षेत्र में एक ख्याति प्राप्त विद्वान होगा जिसके पास उच्च शिक्षण के स्नातक स्तरीय संस्थान में कार्य का प्रशासनिक अनुभव होगा.

(2) इस अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय, संस्थान के निदेशक की नियुक्ति, इस अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (3) या उप-धारा (7) के अधीन गठित खोज समिति द्वारा अनुशंसित किए गए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रख्यात कम से कम तीन व्यक्तियों के पैनल में से कुलाधिपति के द्वारा "प्रसाद के सिद्धांत के अधीन" राज्य शासन के परामर्श के पश्चात् की जाएगी:

परंतु यदि कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित व्यक्ति या व्यक्तियों जिन्हें खोज समिति द्वारा अनुशंसित किया गया हो, में से कोई नियुक्ति प्रतिगृहीत करने के लिए इच्छुक न हो, तो कुलाधिपति ऐसी खोज समिति से नई अनुशंसा मंगा सकेगा.

(3) कुलाधिपति एक खोज समिति गठित करेगा, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

(एक) बोर्ड द्वारा अनुशंसित एक व्यक्ति;
(दो) प्रायोजक द्वारा अनुशंसित एक व्यक्ति;
(तीन) कुलाधिपति द्वारा अनुशंसित एक व्यक्ति;

कुलाधिपति इन तीन व्यक्तियों में से एक को खोज समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा.

(4) उप-धारा (3) के अधीन समिति गठित करने के लिए, कुलाधिपति, निदेशक की अवधि का अवसान होने के छः माह पूर्व, बोर्ड तथा प्रायोजक को खोज समिति के लिए अपने-अपने नामिति चुनने के लिए कहेगा, और यदि उसमें से कोई भी या दोनों इस बारे में कुलाधिपति की संसूचना प्राप्त होने के एक माह के भीतर ऐसा करने में विफल रहते हैं तो कुलाधिपति, यथास्थिति, किसी एक या दोनों व्यक्तियों को पुनः नामांकित कर सकेगा.

(5) किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो संस्थान से संबद्ध है, उप-धारा (3) के अधीन खोज समिति के लिए अनुशंसित या नामांकित नहीं किया जाएगा.

(6) खोज समिति अपने गठन की तारीख से छः सप्ताह के भीतर या कुलाधिपति द्वारा बढ़ाए गए चार सप्ताह से अनधिक ऐसे और समय के भीतर पैनल प्रस्तुत करेगी.

(7) यदि किन्हीं कारणों से वह समिति, जो उप-धारा (3) द्वारा गठित की गई है, उप-धारा 6 में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर पैनल प्रस्तुत करने में असफल रहती है, तो कुलाधिपति एक अन्य समिति गठित करेगा जिसमें तीन ऐसे व्यक्ति होंगे, जो संस्थान से संबद्ध नहीं है, एवं उन्हें नियुक्त करेगा जिनमें से एक को अध्यक्ष अभिहित किया जाएगा, इस प्रकार गठित की गई समिति अपने गठन की तारीख से छः सप्ताह की कालावधि के भीतर या ऐसी लघुत्तर अवधि, जैसी विनिर्दिष्ट की जाए, के भीतर तीन व्यक्तियों का पैनल प्रस्तुत करेगी.

(8) यदि उप-धारा (7) के अधीन गठित की गई समिति उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर पैनल प्रस्तुत करने में विफल रहती है तो कुलाधिपति, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह उपयुक्त समझे, राज्य शासन से परामर्श के पश्चात् निदेशक के रूप में नियुक्त कर सकेगा.

(9) निदेशक संस्थान का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसकी परिलब्धियां एवं सेवा की अन्य शर्तें परिनियमों द्वारा विहित की जाएंगी.

(10) निदेशक पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और वह दो से अधिक पदावधियों के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा.

निदेशक की शक्तियां एवं कार्य.

21. निदेशक की शक्तियां एवं कार्य निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :—

(क) निदेशक संस्थान का प्रमुख अकादमिक एवं कार्यपालक अधिकारी होगा, वह संस्थान के उचित प्रशासन के लिए तथा निर्देश देने के लिए एवं अनुशासन के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा.

(ख) निदेशक बोर्ड को वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा प्रस्तुत करेगा:

परन्तु कुलाधिपति ऐसी विशेष या सावधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निदेशक से अपेक्षा कर सकेगा जैसी आवश्यक समझी जाए.

(ग) निदेशक का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय क्रियान्वित हो रहे हैं.

(घ) निदेशक ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करेगा जैसा कि परिनियम, अध्यादेश, विनियम अथवा बोर्ड के संकल्प द्वारा विहित किया जाये.

(ङ) यदि निदेशक की राय हो कि परिस्थिति आपात प्रकृति की है और किसी विषय पर तत्काल कार्रवाई किया जाना आवश्यक है तो वह लिखित में कारण लेखबद्ध करते हुए, संस्थान के अध्यक्ष के अलावा, किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा:

परन्तु निदेशक यथाशीघ्र, ऐसी शक्तियों के प्रयोग करने की रिपोर्ट अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा, तथा उस पर लिया गया निर्णय अंतिम होगा.

संकायाध्यक्ष की नियुक्ति, शक्तियां एवं कार्य.

22. (1) संकायाध्यक्ष की नियुक्ति निदेशक की अनुशंसा पर तथा ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर जैसा कि परिनियमों द्वारा अधिकथित, बोर्ड द्वारा किया जायेगा.

(2) संकायाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जैसा कि, यथास्थिति, इस अधिनियम, परिनियम या विनियम के अधीन अथवा बोर्ड द्वारा उनको समनुदेशित किया जाये.

रजिस्ट्रार की नियुक्ति, शक्तियां एवं कार्य.

23. (1) रजिस्ट्रार की नियुक्ति ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जायेगी जैसा कि परिनियमों द्वारा अधिकथित किया जाये.

(2) रजिस्ट्रार संस्थान के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा, निधि और संपत्ति का अभिरक्षक होगा.

(3) रजिस्ट्रार, निदेशक के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होगा तथा निदेशक के निर्देशों एवं नियंत्रण के अध्यधीन रहेगा.

(4) रजिस्ट्रार ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि, यथास्थिति, इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश, विनियम के अधीन अथवा बोर्ड द्वारा उसे समनुदेशित किया जाये तथा वह ऐसे कर्तव्यों के निर्वहन एवं ऐसी शक्तियों के प्रयोग करने में, अपने कृत्यों (कार्यों) के समुचित निष्पादन के लिये निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा.

अन्य प्राधिकारी. 24. अन्य प्राधिकारी, जो कि परिनियमों द्वारा संस्थान के प्राधिकारी घोषित किए जाएं, का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जैसा कि उसमें उपबंधित किया जाए.

राज्य शासन द्वारा अनुदान. 25. इस अधिनियम के अधीन संस्थान को अपने कार्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन के लिये सक्षम बनाने के प्रयोजन हेतु, राज्य शासन इस संबंध में विधि द्वारा विधानमंडल द्वारा सम्यक् रूप से विनियोजन पश्चात्, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संस्थान को ऐसी धनराशि का भुगतान, ऐसी रीति में करेगा, जैसी वह ठीक समझे.

संस्थान की निधि. 26. (1) संस्थान निधियां संधारित करेगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा :—

(क) राज्य शासन द्वारा प्रदत्त राशि;

(ख) संस्थान द्वारा प्राप्त शुल्क और अन्य प्रभार;

(ग) अनुदान, उपहार, दान, उपकृति, वसीयत अथवा हस्तांतरण द्वारा संस्थान द्वारा प्राप्त राशि;

(घ) किसी अन्य तरीके से अथवा किसी अन्य स्रोत से संस्थान द्वारा प्राप्त राशि;

(ङ) प्रायोजक से प्राप्त राशि.

(2) निधि में जमा राशियों को ऐसे बैंक में जमा किया जायेगा या ऐसी रीति में निवेश किया जायेगा जैसा कि निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार विनिश्चित करें.

(3) संस्थान की निधि का उपयोग, इस अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के निर्वहन में हुए व्यय सहित संस्थान के व्ययों की पूर्ति के लिए किया जाएगा.

लेखा और लेखा परीक्षा. 27. (1) संस्थान लेखाओं सहित बैलेंस शीट, अन्य सुसंगत अभिलेखों का उचित संधारण करेगा तथा वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा.

(2) संस्थान के लेखाओं का राज्य के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (लोकल फण्ड ऑडिट) के परीक्षक या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों जैसा कि वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, के द्वारा लेखा परीक्षा किया जाएगा.

(3) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के परीक्षक या संस्थान की लेखाओं के ऑडिट के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो कि शासकीय लेखाओं के ऑडिट के संबंध में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के परीक्षक के रूप में इस प्रकार के ऑडिट के संबंध में प्राप्त हों और विशेषत: संस्थान के कार्यालयों के बहियों, लेखाओं, संबंधित वाऊचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजातों की प्रस्तुति की मांग करने तथा निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

(4) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के परीक्षक द्वारा अथवा इस संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित संस्थान के लेखाओं को उसकी ऑडिट रिपोर्ट के साथ राज्य शासन को प्रतिवर्ष अग्रेषित किया जाएगा और शासन इसे विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करवायेगा.

(5) संस्थान, इस धारा की उप-धारा (2), (3) एवं (4) के अधीन उल्लिखित प्रावधानों का अल्पीकरण किए बिना, अपने लेखाओं के ऑडिट के लिए एक वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त कर सकेगा.

पेंशन एवं भविष्य निधि. 28. संस्थान, निदेशक सहित अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए, ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाये, ऐसी पेंशन, बीमा और भविष्य निधि योजनाओं का सृजन करेगा, जैसा कि वह ठीक समझे:

परंतु राज्य शासन घोषित कर सकेगा कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) के प्रावधान भविष्य निधि पर इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि यह शासकीय भविष्य निधि हो.

29. संस्थान के कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां, निदेशक को छोड़कर, परिनियम में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार, निम्नलिखित द्वारा की जाएगी— कर्मचारियों की नियुक्ति.

(क) बोर्ड द्वारा, यदि नियुक्ति शैक्षणिक स्टॉफ अर्थात् सहायक प्राध्यापक (एसोसिएट प्रोफेसर) या इसके उच्च पद पर की जाती है अथवा समय-समय पर परिनियमों में विहित किये गये अधिकतम वेतनमान में, किसी भी संवर्ग में यदि गैर शैक्षणिक स्टॉफ के लिए नियुक्ति की जाती है;

(ख) निदेशक द्वारा, अन्य मामलों में.

30. इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, परिनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं अन्य मामलों के लिए उपबंधित कर सकेंगे, अर्थात् :— परिनियम.

(क) मानद डिग्रियों का प्रदाय;

(ख) शिक्षण के विभागों, संकायों, केन्द्रों या स्कूलों का निर्माण;

(ग) संस्थान में अध्ययन के पाठ्यक्रमों के लिए और संस्थान की डिग्री एवं डिप्लोमा की परीक्षाओं में प्रवेश या कोई अन्य प्रशस्तियों या अवार्ड के लिए प्रभारित किया जाने वाला शुल्क;

(घ) अध्ययनवृत्तियां (फेलोशिप), छात्रवृत्तियां (स्कॉलरशिप), प्रदर्शनियां (एक्जीबिशन), पदक और पुरस्कारों का संस्थापन;

(ङ) संस्थान के अधिकारियों की पदावधि और उनकी नियुक्ति की पद्धति;

(च) संस्थान के शिक्षकों की योग्यताएं;

(छ) संस्थान के शिक्षकों और अन्य स्टॉफ का वर्गीकरण, नियुक्ति की रीति तथा निबंधनों और सेवा की शर्तों का निर्धारण;

(ज) संस्थान के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य स्टॉफ के हितों के लिए पेंशन, बीमा और भविष्य निधि का सृजन;

(झ) संस्थान के प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां और कर्त्तव्य;

(ञ) हॉल और छात्रावासों की स्थापना और अनुरक्षण;

(ट) संस्थान के विद्यार्थियों के आवास की शर्तें और हॉल तथा छात्रावासों में आवास हेतु शुल्कों और अन्य प्रभारों का अधिरोपण;

(ठ) बोर्ड के सदस्यों में से रिक्तियों को भरे जाने की रीति;

(ड) बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों को देय भत्ते एवं परिलब्धियां;

(ढ) बोर्ड के आदेशों और निर्णयों का प्रमाणीकरण;

(ण) बोर्ड, सीनेट अथवा किसी समिति की बैठकें, इन बैठकों का कोरम तथा उनके कार्य निष्पादन में पालन की जाने वाली प्रक्रिया;

(त) कोई अन्य मामला, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, जो इस अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये परिनियमों द्वारा या इसके अधीन उपबंधित हों, अथवा किया जाना हो, अथवा किया जाये.

परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.

31. (1) राज्य शासन प्रथम परिनियम बनायेगा, जो राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा.

(2) बोर्ड, समय-समय पर, नवीन या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा अथवा उप-धारा (1) में निर्दिष्ट परिनियम में संशोधन कर सकेगा या उसे निरसित कर सकेगा:

परन्तु प्रत्येक नए परिनियम अथवा परिनियम में परिवर्धन या परिनियम के संशोधन या निरसन हेतु कुलाधिपति का पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता होगी जो इस पर अपनी अनुमति दे सकता है, अथवा अपनी अनुमति रोक सकता है, अथवा विचार के लिये इसे बोर्ड को भेज सकता है :

परन्तु नए परिनियम अथवा परिनियम में संशोधन अथवा विद्यमान परिनियम के निरसन को तब तक वैधता नहीं मिलेगी जब तक कि कुलाधिपति द्वारा इस पर अनुमति प्रदान नहीं की जाती.

अध्यादेश.

32. इस अधिनियम और परिनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन, संस्थान के अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या कोई मामले उपबंधित हो सकते हैं, अर्थात् :—

(क) संस्थान में विद्यार्थियों का प्रवेश;

(ख) संस्थान की सभी डिग्रियों और डिप्लोमाओं या कोई अन्य प्रशस्तियों या अवार्ड के लिए निर्धारित किए जाने वाले अध्ययन के पाठ्यक्रम;

(ग) शर्तें जिसके अधीन विद्यार्थियों को संस्थान की डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं में प्रवेश दिया जायेगा और जिसके अधीन वे संस्थान के डिग्री और डिप्लोमाओं या कोई अन्य प्रशस्तियों या अवार्ड के लिए पात्र होंगे;

(घ) अध्ययनवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, प्रदर्शनियां, पदक और पुरस्कारों के प्रदाय हेतु शर्तें;

(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों (मॉडरेटर) की नियुक्ति की शर्तें और रीति और उनके कर्तव्य;

(च) परीक्षाओं का संचालन;

(छ) संस्थान के विद्यार्थियों के मध्य अनुशासन बनाए रखना; और

(ज) कोई अन्य मामला, जो इस अधिनियम या परिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, जो इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये परिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित हो, या किया जाए.

अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे.

33. (1) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अध्यादेशों का निर्माण सीनेट द्वारा किया जाएगा.

(2) सीनेट द्वारा निर्मित सभी अध्यादेश, ऐसी तिथि से प्रभावी होंगे जैसा कि वह निर्देशित करे, किन्तु इस प्रकार से निर्मित प्रत्येक अध्यादेश को यथासंभव शीघ्र बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा और बोर्ड द्वारा अपनी आगामी उत्तरवर्ती बैठक में इस पर विचार किया जाएगा.

(3) बोर्ड को इस प्रकार के किसी अध्यादेश को संकल्प द्वारा उपांतरित करने अथवा निरस्त करने की शक्ति होगी और इस प्रकार के अध्यादेश ऐसे संकल्प की तिथि से, उपांतरित अथवा निरस्त, जैसी भी स्थिति हो, माने जाएंगे.

34. संस्थान के प्राधिकारी, अपने स्वयं के कारोबार के संचालन तथा उनके द्वारा नियुक्त किन्हीं समितियों के लिए परिनियमों द्वारा विहित रीति में, इस अधिनियम, परिनियम या अध्यादेश से संगत ऐसे विनियम बना सकेंगे जो अधिनियम, परिनियम या अध्यादेश द्वारा उपबंधित न हों. **विनियम बनाने की शक्ति.**

अध्याय-तीन

विविध

35. इस अधिनियम के अधीन गठित बोर्ड, सीनेट या किसी प्राधिकारी का कार्य या कार्यवाहियां केवल निम्नलिखित कारण से अविधिमान्य नहीं होगी: **संस्थान के प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाहियां रिक्तियों आदि के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी.**

(क) इसके सदस्यों के बीच कोई रिक्ति या रिक्तियों के विद्यमान होने से;

(ख) इसके सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु चयन, नामांकन या किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई विसंगति;

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई अनियमितता जिससे मामले के गुण-दोष (मेरिट) प्रभावित न हों.

36. (1) राज्य शासन द्वारा इस संबंध में बनाए जाने वाले नियमों द्वारा, कुलाधिपति, नियमों में उपबंधित नैतिक अधमता, अशोभनीय आचरण, घोर अनुशासनहीनता, हितों के संघर्ष अथवा किसी अन्य आधार से संबंधित आरोपों पर संस्थान के निदेशक अथवा संस्थान के सम्यक् रूप से गठित निकाय के किसी सदस्य को हटाये जाने का आदेश कर सकेगा. **संस्थान के निदेशक, बोर्ड, सीनेट या वित्त समिति के सदस्य का हटाया जाना.**

(2) संस्थान के निदेशक को पद से प्रस्तावित हटाये जाने हेतु आधारों का उल्लेख करते हुए आरोप पत्र उस पर तामील किए बिना, पद से हटाया नहीं जाएगा और उसे अपने आचरण का स्पष्टीकरण देने और लगाए गए आरोपों का उत्तर देने का अवसर देना होगा.

(3) संस्थान के सम्यक् रूप से गठित निकाय के किसी भी सदस्य को इस संबंध में कुलाधिपति द्वारा नामांकित व्यक्ति द्वारा सुनवाई का अवसर दिए बिना हटाया नहीं जा सकेगा.

37. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो शासन, राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत ऐसे उपबंध बना सकेगा जो कि उसे कठिनाई के निराकरण के लिये आवश्यक एवं समीचीन प्रतीत होते हों: **कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति.**

परन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् ऐसा कोई आदेश, इस धारा के अधीन नहीं किया जायेगा.

38. राज्य शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पूर्व प्रकाशन के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के क्रियान्वयन के लिए, नियम बना सकेगा. **नियम बनाने की शक्ति.**

39. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम और अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा. **परिनियमों एवं अध्यादेशों का राजपत्र में प्रकाशन किया जाना तथा विधान सभा के समक्ष रखा जाना.**

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक परिनियम सहित प्रथम परिनियम, अध्यादेश या नियम को इसके बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, छत्तीसगढ़ विधान सभा के पटल पर, जब सत्र कुल 30 दिवस की अवधि के लिए हो, जो एक ही सत्र में या दो या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में पूरी हो सकती हो, रखा जायेगा, और यदि उस सत्र जिसमें उक्त अवधि समाप्त हो, या पूर्वोक्त उत्तरवर्ती सत्र, के अवसान होने के पूर्व, सदन यदि किसी प्रकार के उपांतरण करने की सहमति देता है अथवा यदि सदन सहमत होता है कि परिनियम या अध्यादेश या नियम, जैसी भी स्थिति हो, को नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् परिनियम या अध्यादेश या नियम, जैसी भी स्थिति हो, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभावी होगा, तथापि ऐसा कोई उपांतरण या विलोपन, परिनियम या अध्यादेश या नियम, यथास्थिति, के अधीन पूर्व में किए गए किसी कार्य की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा.

उद्देश्य और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के उन्नयन के लिए तथा छत्तीसगढ़ शासन एवं नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन (एनटीपीसी) (कार्पोरेट) के मध्य भागीदारी का प्रचलन स्थापित करने हेतु तथा निगमित निकाय को राज्य में इसके निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की पूर्ति करने के लिए समर्थ बनाने हेतु एक विशेषीकृत अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है, जो राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा के परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डाल सकती है.

निगम (कार्पोरेट) तथा राज्य शासन के मध्य यह भागीदारी इस प्रकार की पहली भागीदारी है तथा अन्य निगमित निकायों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी भागीदारी की श्रृंखला को प्रेरित करेगी तथा उद्योग से सक्रिय सहायता के साथ उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट केन्द्रों के सृजन के लिए आधार होगी.

यह संस्था, राज्य को विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी में हो रही क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लेने तथा उससे लाभ प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाएगी. यह सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हजारों नौकरियां प्रदान करेगी तथा उद्यमों का सृजन करेगी तथा छत्तीसगढ़ को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी स्थिति को सशक्त बनाने एवं उसे दृढ़ता से स्थापित करने में समर्थ होगी.

यह संस्था विद्या एवं सृजन तथा ज्ञान के प्रसारण का केन्द्र होगी. यह संस्था छत्तीसगढ़ राज्य में मानव संसाधनों के सृजन में सहायता करेगी, जो दक्ष, तकनीकी समझ रखने वाला एवं आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों को विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि डिजाईन, विज्ञान, अभियांत्रिकी, कृषि एवं डेयरी में प्रयोग करने हेतु सक्षम होगा. यह संस्था हमारे सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षकों की गुणवत्ता के विकास का भी केन्द्र होगा. यह नवीनतम प्रौद्योगिकी पर हमारे संकायों को अद्यतन करने के लिए पाठ्यक्रमों का संचालन करने के लिए समर्थ होगा. संस्थान के शोध छात्र नागरिकों को बेहतर एवं पारदर्शी लोक सेवाएं प्रदाय करने के नये तरीके एवं समाधान खोजने में समर्थ होंगे.

संस्थान, सही मायनों में छत्तीसगढ़ राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान देगा.

इस विधेयक से उपरोक्त उल्लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति आशयित है.

2. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 14 मार्च, 2013

रामविचार नेताम
तकनीकी शिक्षा मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के खण्ड 61 धाराएं (आवर्ती-अनावर्ती व्यय) में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के परिणामस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानतः राशि रु. 200.00 लाख (रुपये दो करोड़ मात्र) केवल का अतिरिक्त आवर्ती वित्तीय भार आएगा.

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा राज्य सरकार को विधायनी शक्तियों को प्रत्यायोजन किया जा रहा है उनका विवरण निम्नानुसार है :—

खण्ड 1(2)	अधिनियम अधिसूचित करने की तिथि सूचित करने.
खण्ड 3(1)	विश्वविद्यालय की स्थापना अधिसूचित करने.
खण्ड 31(1)	विश्वविद्यालय के लिए प्रथम परिनियम निर्मित करने.
खण्ड 37	अधिनियम उपबंधों को प्रभावशील करने में उत्पन्न कठिनाई दूर करने.
खण्ड 38	विश्वविद्यालय के लिए अधिनियम को क्रियान्वित करने.
खण्ड 39(1)	अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियम और अध्यादेश को प्रकाशित करने.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.